

12-2020

अभिलेख उपस्थापित। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। बंदोबस्तदार के द्वारा बंदोबस्ती से संबंधित कागजात इस कार्यालय में जमा किया गया है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से उक्त बंदोबस्त भूमि का अद्यतन प्रतिवेदन की मांग करें।

लेखपिता  
१८

अंचल अधिकारी,  
गोड्डा सदर।

१८  
२१२.२०२०

अंचल अधिकारी,  
गोड्डा सदर।

19-12-2020

अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त। प्रतिवेदनानुसार मौजा—हिजलजोर, थाना नं०-५६१, के गैरमजरुआ खाता सं०-२१, के अंदर दाग सं०-०१, कुल खतियानी रकवा ०७-११-०१ धुर किस्म—परतीकदीम के रूप में गत सर्वे खतियान में अंकित है। इसी मौजा के पंजी-०२ के अवलोकन से पाया गया कि रकवा १.५७ एकड़ कानून मुरू पिता—पुजहर मुर्मू साकिंग—हिजलजोर के नाम से खाता सं०-२१/५ में दर्ज है। जांच के क्रम में बंदोबस्तदार द्वारा उक्त बंदोबस्ती से संबंधित तीन आना बनेली राज पट्टा एवं मालगुजारी रसीद प्रस्तुत किया जो इस पत्र के साथ संलग्न है। स्थलीय जांच में पाया गया कि उक्त बंदोबस्ती भूमि पर बंदोबस्तदार/वंशज द्वारा जोत अबाद कर रहा है। पोटो प्रति संलग्न। सरकार के पत्र के आलोक में संधारित खाता को नियमित करने की अनुशंसा की गई है।

अतः संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदनानुसार संधारित अवैध/संदेहास्पद जगावंदी को झारखण्ड सरकार राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प झापांक-६१४४/रा० दिनांक-२१.१२.२०१७ तथा पत्रांक-०६/भूमि का नियमितीकरण, ८९/२०२०-१७०४/रा० दिनांक-१५.०७.२०२० के आलोक में वैध बंदोबस्ती एवं दख्ल कब्जा के आधार पर नियमित किया जाता है।

अधिलेख की कार्रवाई बंद की जाती है।

लेखपिता

१८

अंचल अधिकारी,  
गोड्डा सदर।

१८  
१९.१२.२०२०

अंचल अधिकारी,  
गोड्डा सदर।